परिशोधित पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अनुसार बेसल -II (पिलर 3) के अंतर्गत प्रकटीकरण :

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण आन्ध्रा बैंक (एकल) से संबंधित है. बैंक का जोखिम आधारित आस्तियों का अनुपात (सी आर ए आर) को पूँजी को ही दर्शाया गया है.

1. प्रयोग की गुंजाइश

1.1 आन्ध्रा बैंक का एक ही अनुषंगी है,यानी, आन्ध्रा बैंक फाइनशियलन सर्वीसेज लिमिटेड (एबीआईएफएसएल). वास्तव में एबीएफएसएल महत्वपूर्ण वित्तीय कारोबार नहीं कर रहा है. रु.5.00 करोड की कुल शेयर पूँजी (100%) आन्ध्रा बैंक ने अंशदान किया है.

1.2 बैंक की निम्न सहयोगी संस्थायें हैं, जिन के लिए बैंक ने 35% अंशदान किया है.

क्र.संख्या	संस्था का नाम	निगमित देश	स्वामित्व आनुपातिक प्रतिशत
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
2	ऋषिकुल्या ग्रामीण बैंक	भारत	35.00

1.3. चूँकि एबीएफएसएल को संचित बकाया हानियाँ हैं, बैंक ने पहले ही रु.5.00 करोड निवेश के रूप में अनुषंगी में प्रावधानित किया है. (कुल निवेश रु.5.00 करोड हैं).

1.4. मद संख्या 1.2 में उल्लिखित अन्य दो अनुषंगियाँ लाभ अर्जन कर रहे हैं, उनके संदर्भ में पूँजी अपर्याप्तता नहीं हैं.

2.0 पूँजी संरचना

2.1 बैंक की टायर- I पूँजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षतियाँ और नवोन्मेषी स्थायी बाँड शामिल हैं.

2.2 वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने नवोन्मेषी स्थायी बाँड (टायर- I पूँजी) तथा अन्य बाँड जारी किया है जो टायर - II में शामिल करने के लिए पात्र हैं. बाँडों के कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्न प्रकार हैं.

अनारक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टायर - II बाँड VII निर्गम (जी सीरीज)

आबंटन की तिथि	बाँड राशि (रु.करोड में)	कूपन दर	अवधि	कॉल आप्शन*	पुट आप्शन
10.09.2008	600.00	11.00	120 महीने	कुछ नहीं	कुछ नहीं

* भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार

प्रोनोट के रूप में अनारक्षित गैर संचयी गौण स्थायी बाँड (नवोन्मेषी स्थायी ऋण-टायर I पूँजी)

आबंटन की तिथि	बाँड राशि (रु.करोड में)	कूपन दर	अवधि	कॉल आप्शन*	पुट आप्शन
31.12.2008	200.00	9.50	स्थायी	दस वर्षों के बाद	कुछ नहीं

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन

बाँड की जारी की तिथि के 10 वें वर्ष के बाद से 0.5% की दर से स्टेप अप आप्शन है.

अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय (अप्पर टायर II) बाँड प्रोनोट की प्रकृति के हैं.

आबंटन की तिथि	बाँड राशि (रु.करोड में)	कूपन दर	अवधि	कॉल आप्शन*	पुट आप्शन
25.03.2009	200.00	9.30	180 महीने	दस वर्ष बाद	कुछ नहीं

* भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन

कॉल आप्शन के अन्त में 0.5% का स्टेप अप आप्शन है, यानी बाँड की जारी करने की तारीख से 10 वर्ष यदि कॉल आप्शन का उपयोग न किया गया हो.

3.पूँजी पर्याप्तता

3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल II फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन अनुबद्धों का कार्यान्वयन करते समय बैंक ने विश्व के उत्तम परंपराओं को अपनाया है. बेसल II से संबंधित विभिन्न मामलों को बताने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा है. बैंक की पूँजी आवश्यकता का आवधिक मूल्यांकन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की अंतरिम

Disclosure under Basel II (Pillar 3) in terms of Revised Capital Adequacy frame work

Disclosure in this report pertain to Andhra Bank (Solo). The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank on stand alone basis is shown.

1. Scope of application

1.1 Andhra Bank has the only one Subsidiary i.e., Andhra Bank financial Services Ltd (ABFSL). Infact, ABFSL is not carrying any significant financial activity. The total Share Capital (100%) of Rs. 5.00 crore is contributed by Andhra Bank only.

1.2 Bank has the following associates where in the bank has contributed 35% of the share capital.

S.No.	Name of the entity	Country of Incorporation	Proportion of ownership percentage
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35.00
2	Rushikulya Grameena Bank	India	35.00

1.3. As the ABFSL has outstanding accumulated losses, bank has already fully provided Rs.5.00 crore (Total Investment of Rs. 5.00 Cr) towards its investment in the subsidiary.

1.4. The other two Associates as mentioned in point No.1.2 are making profits and there is no capital deficiency.

2.0 Capital Structure.

2.1 Bank's Tier I Capital comprises of equity shares, Reserves and Innovative Perpetual Bonds.

2.2 Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier I Capital) and also other Bonds eligible for inclusion in Tier II Capital during the financial year 2008-09. Some of the important terms of the Bonds are as under.

Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Bonds VII issue (Series G)

Date of allotment	Bond amount (Rs. in crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option*	Put Option
10.09.2008	600.00	11.00	120 months	None	None

* Subject to RBI norms.

Unsecured Non Cumulative Subordinated Perpetual Bonds (Innovative Perpetual Debt- Tier I Capital) in the nature of Promissory Notes.

Date of allotment	Bond amount (Rs. in crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option*	Put Option
31.12.2008	200.00	9.50	Perpetual	After 10 years	None

* Subject to RBI approval.

Step up option of 0.5% at the end of call option i.e., 10th year from the date of issue of the Bond.

Unsecured Redeemable Non- convertible (Upper Tier II) Bonds in the nature of Promissory Notes.

Date of allotment	Bond amount (Rs. in crore)	Coupon Rate	Tenor	Call Option*	Put Option
25.03.2009	200.00	9.30	180 months	After 10 years	None

* Subject to RBI approval.

Step up option of 0.5% at the end of call option i.e., 10th year from the date of issue of the Bond in case the call option is not exercised

3. CAPITAL ADEQUACY

3.1 Qualitative disclosures:

Bank is geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning

पूँजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) समिति का गठन किया गया है. इस समिति का गठन बैंक की पूँजी आवश्यकताओं का मानिटर एवं निर्धारण करने के लिए एवं जोखिम आधारित आस्ति, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम को दृष्टि में रखकर किया गया है.

समिति नियमित रूप से बैठक बुलाती है एवं पूँजी की अधिकतम उपयोग करने के लिए विधिवत् सिनारियो पर प्रकाश डालते हुए, पूँजी से संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है.

3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(रुपये करोड़ों में)

मद	राशि
(क) ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	3305.26
प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	कुछ नहीं
(ख) बाजार जाखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं	
- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
▪ ब्याज दर जोखिम	151.17
▪ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	कुछ नहीं
▪ ईक्विटी स्थिति जोखिम	59.33
(ग) परिचालन जोखिम की पूँजी आवश्यकताएं	
- मूल सूचक दृष्टिकोण	272.00
(घ) बैंक के लिए कुल एवं टायर I सी आर ए आर (बेसल II के अनुसार)	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	13.22
▪ टायर I सी आर ए आर (%)	8.67
(ङ) महत्वपूर्ण अनुषंगी के लिए कुल एवं टायर I सी आर ए आर जो समेकित ग्रूप में नहीं है	
▪ कुल सी आर ए आर (%)	कुछ नहीं
▪ टायर I सी आर ए आर (%)	कुछ नहीं

4. ऋण जोखिम, सामान्य प्रकटीकरण

4.1. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

- बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है. समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है. गत वर्षों से विकसित कार्यक्षेत्र और वास्तविक अनुभव परिणाम स्वरूप इससे संबंधित नीति और पद्धतियों को परिमार्जन किया जा रहा है. नीति और पद्धतियों को बेसल II में बताये गये मार्गदर्शी सूत्रों के अनुरूप संरेखित किया गया है.
- ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिमों के पहचान, मूल्यांकन, माप, अनुवर्तन और नियंत्रण सम्मिलित हैं.
- आयाम में अच्छे विकेन्द्रीकृत पोर्टफोलियो की प्राप्ति के लिए ऋण जोखिम की माप में सीमाओं का लक्ष्य रखनां शामिल है, जैसे कंपनियों, ग्रूप कंपनियों, उद्योग, संपार्श्विक प्रकार एवं भौगोलिक, आदि. अच्छे जोखिम प्रबंधन एवं ऋण जोखिम तीव्रता से बचने के लिए व्यक्तिगत कंपनियाँ, ग्रूप कंपनियाँ, बैंक, व्यक्तिगत उधारकर्ता, गैर सरकारी संस्थाएं, नाजुक क्षेत्र, जैसे पूँजी बाजार, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), नाजुक वस्तुएं, आदि के संबंध में विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंडों पर आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध है.

4.2. ऋण जोखिम प्रबंधन की विविध पहलुओं, जैसे मूल्यांकन, मूल्यन, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं मानिटोरिंग, ऋण सुविधाओं की समीक्षा एवं नवीकरण, समस्यात्मक ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी, आदि के संबंध में बैंक में प्रक्रियाएं एवं नियंत्रण उपलब्ध हैं.

4.3. कुल सकल ऋण जोखिम सीमाएं :

(रुपये करोड़ों में)

श्रेणी	राशि
निधि आधारित	44139.26
गैर निधि आधारित	6676.31

Basel II. For periodic assessment of Capital needs of the Bank, an Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) Committee comprising of the top executives has been constituted, to monitor and assess the Capital requirement of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

The Committee meets regularly and decides on the capital related issues, with due focus on different options available for capital augmentation and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.

3.2 Quantitative disclosures: (Rs. in crore)

Items	Amount
(a) Capital requirements for credit risk	3305.26
• Portfolios subject to standardized approach	NIL
• Securitisation exposures	
(b) Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
* Interest rate risk	151.17
• Foreign exchange risk (including gold)	NIL
• Equity position risk	59.33
(c) Capital requirements for operational risk	
- Basic indicator approach	272.00
(d) Total and Tier 1 CRAR for the Bank (As per Basel-II)	
• Total CRAR (%)	13.22
Tier 1 CRAR (%)	8.67
(e) Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which is not under consolidated group	
• Total CRAR (%)	NA
• Tier 1 CRAR (%)	NA

4. CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

4.1. Credit Risk Management Policy:

- The Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II guidelines.
- Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.
- The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

4.2. The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring etc.

4.3. The total Gross Credit Risk Exposures are: (Rs. in Crore)

Category	Amount
Fund Based	44139.26
Non Fund Based	6676.31

4.4. बैंक की विदेशी शाखाएं नहीं हैं. अतएव, भौगोलिक ऋण जोखिम नहीं दी गयी हैं.

4.5. (i).31.03.09 को उद्योगवार आंतरिक (निधिक) ऋण जोखिम सीमाएं और ऋण जोखिम

(रुपये करोडों में)

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिमों का % के रूप में सीलिंग	पिछली तिमाही के कुल अग्रिमों पर सीलिंग राशि	31.03.2009 को वास्तविक निधि आधारित एक्सपोजर	पिछली तिमाही, यानी, 31.12.2008, के कुल अग्रिमों का % के रूप में एक्सपोजर
1	टेक्सटाइल्ज	9.00	3782.43	1614.73	3.84
2	पेट्रोलियम उत्पाद	10.00	4202.70	2108.41	5.01
3	ऊर्जा	20.00	8405.40	4048.68	9.63
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	5.00	2101.35	1138.37	2.71
5	एन बी एफ सी	8.00	3362.16	3425.55	8.15
6	हीरे और जवाहरात	5.00	2101.35	666.89	1.59
7	धान मिल	6.00	2521.62	1118.07	2.66
8	चीनी	5.00	2101.35	713.36	1.70
9	दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्ज	5.00	2101.35	713.57	1.70
10	तंबाकू	2.00	840.54	193.31	0.46
11	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	2.00	840.54	411.26	0.99
12	डिस्टिलरीज	1.00	420.27	15.54	0.04
13	लोहा और स्टील	8.50	3572.29	1991.89	4.74
14	निर्माण और ठेकेदार	8.00	3362.16	1426.01	3.39
15	साफ्टवेयर	1.50	630.40	27.33	0.06
16	कुल रियल एस्टेट	21.00	8825.67	5403.30	12.85
	रियल एस्टेट की उप सीमाएं				
	1. गृह ऋण (जिसमें घरेलू बंधक और मध्यवर्ती गृह निर्माण संस्थाओं को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त भी शामिल है.)	15.00	6304.05	3715.92	8.84
	2. कुल वाणिज्यिक रियल एस्टेट	6.00	2521.62	1687.38	4.01
	वाणिज्यिक रियल एस्टेट की संरचना				
	क) वाणिज्यिक रियल एस्टेट (होटेल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं को छोडकर)	3.00	1260.81	1117.37	2.66
	ख) अस्पताल	1.00	420.27	126.18	0.30
	ग) होटेल	1.00	420.27	142.47	0.34
	घ) शैक्षणिक संस्थाएं	1.00	420.27	301.36	0.72

नोट 31.03.2008 को कुल अग्रिम 42026.99 करोड

4.4. Bank has no Overseas Branches. Hence, Geographical exposures are not given.

4.5. (i).INDUSTRY WISE INTERNAL (FUNDED) CREDIT EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31-03-2009

(Rs in crores)

S.No.	Industry	Ceilings as % of total advances of previous quarter	Ceiling amount on total advances of previous quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.2009	Exposure as % of total advances of previous quarter i.e., 31.12.2008
1	Textiles	9.00	3782.43	1614.73	3.84
2	Petroleum Products	10.00	4202.70	2108.41	5.01
3	Power	20.00	8405.40	4048.68	9.63
4	Engineering (Heavy & Light)	5.00	2101.35	1138.37	2.71
5	NBFC	8.00	3362.16	3425.55	8.15
6	Diamonds, Gems & Jewellery	5.00	2101.35	666.89	1.59
7	Rice Mills	6.00	2521.62	1118.07	2.66
8	Sugar	5.00	2101.35	713.36	1.70
9	Drugs & Pharmaceuticals	5.00	2101.35	713.57	1.70
10	Tobacco	2.00	840.54	193.31	0.46
11	Cement & Cement Products	2.00	840.54	411.26	0.99
12	Distilleries	1.00	420.27	15.54	0.04
13	Iron & Steel	8.50	3572.29	1991.89	4.74
14	Construction & Contractors	8.00	3362.16	1426.01	3.39
15	Software	1.50	630.40	27.33	0.06
16	Total Real Estate	21.00	8825.67	5403.30	12.85
	Sub-ceilings for real estate				
	1. Housing Loans (includes residential mortgages & indirect finance to Housing intermediaries)	15.00	6304.05	3715.92	8.84
	2. Total Commercial Real Estate	6.00	2521.62	1687.38	4.01
	Composition of Commercial Real Estate				
	A) Commercial Real Estate (other than Hotels, Hospitals & Educational Institutions)	3.00	1260.81	1117.37	2.66
	B) Hospitals	1.00	420.27	126.18	0.30
	C) Hotels	1.00	420.27	142.47	0.34
	D) Educational Institutions	1.00	420.27	301.36	0.72

Note: Total advances as on 31.12.2008 are Rs.42,026.99 crores.

4.5.(ii). 31-03-2009 को उद्योगवार आंतरिक (गैर निधिक) ऋण जोखिम सीमाएं और ऋण जोखिम

(रुपये करोडों में)

क्र. संख्या	उद्योग	पिछली तिमाही के गैर निधि एक्सपोजर का % के रूप में सीलिंग	पिछली तिमाही के गैर निधि एक्सपोजर पर सीलिंग राशि	31.03.2009 को वास्तविक गैर निधि आधारित एक्सपोजर	पिछली तिमाही, यानी, 31.12.2008, के गैर निधि एक्सपोजर का % के रूप में एक्सपोजर
1	टेक्सटाइल्ज	8.00	626.69	126.10	1.61
2	पेट्रोलियम उत्पाद	1.00	78.34	31.33	0.40
3	ऊर्जा	9.00	705.03	465.66	5.94
4	इंजीनियरिंग (भारी और लघु)	10.00	783.37	618.72	7.90
5	हीरे और जवाहरात	1.00	78.34	15.59	0.20
6	धान मिल	2.00	156.67	57.64	0.74
7	चीनी	4.00	313.35	193.90	2.47
8	दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्ज	6.00	470.02	234.87	2.99
9	तंबाकू	0.50	39.17	23.80	0.30
10	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	0.50	39.17	82.10	1.05
11	डिस्टिलरीज	0.50	39.17	2.07	0.03
12	लोहा और स्टील	12.00	940.04	729.22	9.31
13	निर्माण और ठेकेदार	50.00	3916.84	3293.36	42.04
14	साफ्टवेयर	1.00	78.34	13.30	0.17
15	कुल वाणिज्यिक रियल एस्टेट	4.00	313.34	141.89	1.81
	क) वाणिज्यिक रियल एस्टेट (होटेल, अस्पताल और शैक्षणि संस्थाओं को छोडकर)	1.00	78.34	35.54	0.45
	ख) अस्पताल	1.50	117.51	63.78	0.81
	ग) होटेल	0.50	39.17	4.95	0.06
	घ) शैक्षणिक संस्थाएं	1.00	78.34	37.62	0.48

नोट- 31.12.2008 (पिछली तिमाही) को कुल गैर निधिक एक्सपोजर रु.7,833.68 करोड है.

योजना एवं प्रक्रियाएं :

बैंक में सुव्यवस्थित ऋण नीति है. ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदा, दर संबंधी मानक एवं बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बडे ऋण एक्सपोजन पर विवेकपूर्ण सीमाएं, आस्ति केन्द्रीकरण, ऋण संपार्श्विक के लिए मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा मेकानिजम, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम पर निगरानी एवं मूल्यांकन, ऋणों का मूल्यन, प्रावधानीकरण, विनियामक/कानूनी अनुपालन आदि के लिए बैंक ने मानकों पर नीतियाँ बनायी हैं.

- एक्सोपोजर के विभिन्न वर्गों के लिए बैंक में व्यापक जोखिम दर निर्धारण पद्धति है.
- बैंक उद्योगों/क्षेत्रों, जहाँ जोखिम अधिक है, पर पोर्टफोलियो अध्ययन करता है एवं ऐसे अध्ययनों से प्राप्तियों पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा चर्चा की जाती है एवं सूचना के लिए बोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है.

4.5.(ii). INDUSTRY WISE INTERNAL (NON-FUNDED) EXPOSURE CEILINGS AND EXPOSURE AS ON 31-03-2009

(Rs in crores)

S.No.	Industry	Ceilings as % of Non-funded exposure of previous quarter	Ceiling amount on Non-funded exposure of previous quarter	Actual Non-Fund based exposure as on 31.03.09	Exposure as % of Non-funded exposure of previous quarter i.e., 31.12.2008
1	Textiles	8.00	626.69	126.10	1.61
2	Petroleum Products	1.00	78.34	31.33	0.40
3	Power	9.00	705.03	465.66	5.94
4	Engineering (Heavy & Light)	10.00	783.37	618.72	7.90
5	Diamonds, Gems & Jewellery	1.00	78.34	15.59	0.20
6	Rice Mills	2.00	156.67	57.64	0.74
7	Sugar	4.00	313.35	193.90	2.47
8	Drugs & Pharmaceuticals	6.00	470.02	234.87	2.99
9	Tobacco	0.50	39.17	23.80	0.30
10	Cement & Cement Products	0.50	39.17	82.10	1.05
11	Distilleries	0.50	39.17	2.07	0.03
12	Iron & Steel	12.00	940.04	729.22	9.31
13	Construction & Contractors	50.00	3916.84	3293.36	42.04
14	Software	1.00	78.34	13.30	0.17
15	Total Commercial Real Estate	4.00	313.34	141.89	1.81
	A) Commercial Real Estate (other than Hotels, Hospitals & Educational Institutions)	1.00	78.34	35.54	0.45
	B) Hospitals	1.50	117.51	63.78	0.81
	C) Hotels	0.50	39.17	4.95	0.06
	D) Educational Institutions	1.00	78.34	37.62	0.48

Note: Total Non-Funded Exposure as on 31.12.2008 (Previous Quarter) are Rs.7,833.68 crores.

Strategies and Processes

The bank also has a well defined Loan Policy in place. The bank has formulated policies on standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance etc.

- The Bank has in place comprehensive risk rating system for various categories of exposures.
- The Bank undertakes portfolio studies on industries/sectors, where the exposures are substantial and findings of such studies are discussed by the Credit Risk Management Committee and put up to Board for information.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

4.6. आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(रुपये करोडों में)

परिपक्वता प्रतिमान	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा
0 से 1 दिन	201.33	5.47	163.25
2 से 7 दिन	335.41	580.03	0.77
8 से 14 दिन	683.87	188.44	10.76
15 से 28 तक	713.29	302.31	8.65
29 दिनों से 3 महीने	5201.41	783.56	85.25
3 महीनों से ज्यादा और 6 महीनों तक	3096.50	629.73	111.39
6 महीनों से ज्यादा और 1 वर्ष तक	4738.63	625.54	0.00
1 वर्ष से ज्यादा 3 वर्षों तक	17792.02	2444.40	0.00
3 वर्षों से ज्यादा 5 वर्षों तक	4865.21	1825.67	0.00
5 वर्षों से ज्यादा	6511.59	9525.96	0.00
कुल	**44139.26**	**16911.11**	**380.07**

4.7.सकल अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) की राशि और अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) के लिए किये गये प्रावधान :

(रुपये करोडों में)

	स्थिर प्रावधान		स्थिर और अस्थिर प्रावधान	
श्रेणी	**एन पी ए**	**प्रावधान**	**एन पी ए**	**प्रावधान**
अवमानक	135.10	54.71	135.10	55.30
संदिगध	222.18	172.92	222.18	222.18
संदिग्ध -1	*73.36*	*60.70*	*73.36*	*73.36*
संदिग्ध -2	*140.95*	*104.35*	*140.95*	*140.95*
संदिग्ध -3	*7.87*	*7.87*	*7.87*	*7.87*
हानि	10.86	10.86	10.86	10.86
कुल	**368.14**	**238.49**	**368.14**	**288.34**

4.8. अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) के प्रवधानों में परिवर्तन :

(रुपये करोडों में)

	2008-09	2007-08
सकल अग्रिमों में सकल एन पी ए (%)	0.83%	1.07%
निवल अग्रिमों में निवल एन पी ए (%)	0.18%	0.15%
एन पी ए में परिवर्तन (सकल)		
- प्रारंभिक शेष	372.43	397.01
- वर्ष के दौरान जोड	201.32	201.52
- वर्ष के दौरान घटाइयाँ	205.61	226.10
- अंतिम शेष	368.14	372.43

Quantitative Disclosures:

4.6. Residual Maturity breakdown of assets:

(Rs. in crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency assets
0 to 1 day	201.33	5.47	163.25
2 to 7 days	335.41	580.03	0.77
8 to 14 days	683.87	188.44	10.76
15 to 28 days	713.29	302.31	8.65
29 days to 3 months	5201.41	783.56	85.25
Over 3 months & upto 6 months	3096.50	629.73	111.39
Over 6 months & upto 1 year	4738.63	625.54	0.00
Over 1 year & upto 3 years	17792.02	2444.40	0.00
Over 3 year & upto 5 years	4865.21	1825.67	0.00
Over 5 years	6511.59	9525.96	0.00
Total	**44139.26**	**16911.11**	**380.07**

4.7. AMOUNT OF GROSS NPAS & PROVISIONS HELD FOR NPAs:

(Rs. in crore)

	Specific Provision		Specific & Floating Provisions	
Category	**NPA**	**Provision**	**NPA**	**Provision**
Sub-Std	135.10	54.71	135.10	55.30
Doubtful	222.18	172.92	222.18	222.18
Doubtful-1	*73.36*	*60.70*	*73.36*	*73.36*
Doubtful-2	*140.95*	*104.35*	*140.95*	*140.95*
Doubtful-3	*7.87*	*7.87*	*7.87*	*7.87*
Loss	10.86	10.86	10.86	10.86
Total	**368.14**	**238.49**	**368.14**	**288.34**

4.8. MOVEMENT OF PROVISIONS FOR NPAs:

(Rs. in Cr)

	2008-09	2007-08
Gross NPA to Gross Advances (%)	0.83%	1.07%
Net NPA to Net Advances (%)	0.18%	0.15%
Movement of NPAs (Gross)		
- Opening Balance	372.43	397.01
- Additions during the year	201.32	201.52
- Reductions during the year	205.61	226.10
- Closing Balance	368.14	372.43

एन पी ए में परिवर्तन (निवल)	2008-09	2007-08
- प्रारंभिक शेष	53.70	47.25
- वर्ष के दौरान जोड	25.52	6.45
- वर्ष के दौरान घटाइयाँ	0.00	0.00
- अंतिम शेष	79.22	53.70
एन पी ए स्थिर प्रावधानों में परिवर्तन		
- प्रारंभिक शेष	150.56	176.01
- वर्ष के दौरान जोड	171.17	92.93
- वर्ष के दौरान घटाइयाँ	83.24	118.38
- अंतिम शेष	238.49	150.56
एन पी ए अस्थिर प्रावधानों में परिवर्तन		
- प्रारंभिक शेष	167.47	167.47
- वर्ष के दौरान जोड	0.00	0.00
- वर्ष के दौरान घटाइयाँ	117.62	0.00
- अंतिम शेष	49.85	167.47

5. ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण, जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन होगा :

5.1. गुणात्मक प्रकटीकरण

5.1.1. मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के लिए :

उपयोग की गयी ऋण निर्धारण एजेंसियों के नाम:

- *क्रिसिल, केयर, फिच, इक्रा*

एक्सपोजर के प्रकार, जिनके लिए एजेंसियों का उपयोग किया गया

- एक वर्ष से कम या एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता के साथ एक्सपोजर के लिए (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट को छोडकर) अनुमोदित दर निर्धारण एंजेंसी द्वारा दिये गये अल्पावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया.
- आन्तरिक नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि दर निर्धारण का उपयोग किया गया.
- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मांग गये दर निर्धारण का ही उपयोग करता है, जा वैध एवं मान्यता प्राप्त ई सी ए आई द्वारा समीक्षा की जाती है .
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक एक्सपोजर के लिए एक ई सी ए आई का दर निर्धारण एक साथ उपयोग नहीं करता है यदि संबंधित एक्सपोजर का दर निर्धारण एक ही चयनित ई सी ए आई द्वारा न किया गया हो. आगे, बैंक एक कार्पोरेट ग्रूप की अन्य संस्थाओं पर जोखिम भारित के लिए नहीं लगाता है.
- जहाँ एक्सपोजर/उधारकर्ताओं को चयनित ई सी ए आई से बहु दर निर्धारण हैं, वहाँ जोखिम भारित संगणना के लिए बैंक ने निम्न प्रक्रिया अपनायी है.
- यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा दो दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारितों को दर्शाता है, तो उच्च दर का जोखिम भारित लगाया जाता है
- यदि चयनित ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक दर निर्धारण किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भारितों को दर्शाता है, तो निम्नतम दो संबंधित दरों का संदर्भ लिया जाता है और इन दोनों में से उच्चतम दर का जोखिम भारित लगाया जाता है

5.1.2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों को सार्वजनिक निर्गमित दर के अन्तरण में प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण:

ऐसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं है.

Movement of Net NPAs	2008-09	2007-08
- Opening Balance	53.70	47.25
- Additions during the year	25.52	6.45
- Reductions during the year	0.00	0.00
- Closing Balance	79.22	53.70
Movement of Specific Provisions for NPAs		
- Opening Balance	150.56	176.01
- Additions during the year	171.17	92.93
- Reductions during the year	83.24	118.38
- Closing Balance	238.49	150.56
Movement of Floating Provisions for NPAs		
- Opening Balance	167.47	167.47
- Additions during the year	0.00	0.00
- Reductions during the year	117.62	0.00
- Closing Balance	49.85	167.47

5. Credit Risk: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH:

5.1. Qualitative disclosures for portfolios under the standardized approach:

Name of the credit rating agencies used:

- *CRISIL, CARE, FITCH, ICRA*

Types of exposure for which each agency is used:

- For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except cash credit, overdraft) Short term ratings given by approved Rating Agencies is used.
- For domestic cash credit, overdraft and for term loan exposures of over 1 year, long Term Ratings is used.
- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized ECAIs.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure to the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
- If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
- If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

5.1.2. A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

No such process is applied

5.2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

प्रमुख जोखिम बकिटों में बैंक की बकाया राशि (दर निर्धारित एवं दर निर्धारित न किया गया) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम उपशमनों का फैक्टरिंग (यानी संपार्श्विक) के बाद

(रुपये करोडों में)

विवरण	राशि	
	निधिक	गैर निधिक
100% से कम जोखिम भारित	20654.63	2966.67
100% जोखिम भारित	19900.83	3467.14
100% से ज्यादा जोखिम भारित	1016.94	87.94
घटाया गया (जोखिम उप शमक)	2566.86	154.56
कुल	44139.26	6676.31

6. ऋण जोखिम उपशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण :

6.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

6.1.1.संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं

ऋण जोखिम उपश्मनों के लिए बैंक के दृष्टिकोण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का उपयोग पूँजी संगणना के लिए उपलब्ध है.

नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जो संपार्श्विक का आरोपित मूल्य से एक्सपोजर राशि घटाकर एक्सपोजर पर संपार्श्विक का संपूर्ण आफसेट की अनुमति देती है.

6.1.2. बैंक द्वारा लिये गये संपार्श्विक के मुख्य प्रकार का वर्णन :

जोखिम उपशमनों के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतया उपयोग किये जानेवाले संपार्श्विक के मुख्य प्रकार में निम्न लिखित शामिल हैं :

1. नकद/बैंक जमाएं
2. सोना
3. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र
5. घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा निगम की पालिसियाँ
6. कर्ज प्रतिभूतियाँ (नये पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क में दी गयी परिभाषा के अनुसार)
7. म्युचुअल फंड के यूनिट
8. संयंत्र और मशीनरी, भूमि और भवन (केवल एन पी ए के मामलों में) ऋण जोखिम उपशमक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किये गये हैं.

6.1.3. गैरंटर काउण्टर पार्टी के मुख्य प्रकार एवं उनकी ऋण पात्रता :

जहाँ कहीं आवश्यक हो, जण जोखिम के उपशमन के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक व्यक्तिगत या कार्पोरेट गारंटी लेता है, जो गारंटर पर सीधा दावा किया जा सकता है एवं जो शर्त रहित एवं अविकल्पी है. गारंटर की ऋण पात्रता सामान्यतया उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित या प्रभावित नहीं है. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिभूति सुविधा के रूप में दी गयी गारंटी भी बैंक स्वीकार करता है. ऐसी गारंटियाँ निरंतर प्रभावित रहती है, जबतक सुविधा की संपूर्ण चुकौती या निपटान नहीं किया जाता है.

6.1.4.लिये गये उपशमनों के अंदर जोखिम होने के बारे में सूचना :

बैंक में आस्तियों का एक अच्छा प्रकीर्ण पोर्टफोलियो है, जो विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों द्वारा प्रतिभूत है :

- ऊपर सूचित पात्र वित्तीय संपार्श्विक
- सॉवरिनों एवं अच्छे कार्पोरेटों द्वारा गारंटियाँ
- काउण्टर पार्टी द्वारा दी गयी अचल संपत्ति एवं चालू आस्तियाँ

5.2. Quantitative disclosures:

Amount of bank's outstandings (rated & unrated) in major risk buckets - under standardized approach, after factoring risk mitigants (i.e.. collaterals):

(Rs. in Crore)

Particulars	Amount	
	FUND BASED	NON-FUND BASED
Below 100% risk weight	20654.63	2966.67
100% risk weight	19900.83	3467.14
More than 100% risk weight	1016.94	87.94
Deducted (Risk Mitigants)	2566.86	154.56
TOTAL	**44139.26**	**6676.31**

6. CREDIT RISK MITIGATION – STANDARDIZED APPROACH:

6.1 Qualitative disclosure:

6.1.1.Policies and processes for collateral valuation and management:

A Board approved Policy, addressing the Bank's approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation is in place.

The policy adopts the comprehensive approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

6.1.2. Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Cash/ Bank's deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Government
4. NSCs and KVPs
5. LIC policies with a declared surrender value
6. Debt securities (as defined in the New Capital Adequacy Framework)
7. Units of Mutual Funds.
8. Plant & Machinery, Land & Building (In case of NPAs only)

The Credit Risk Mitigants are applied in accordance with the RBI guidelines.

6.1.3. Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

Wherever required, the Bank obtains Personal or Corporate guarantee, as an additional comfort for mitigation of credit risk, which can be translated into a direct claim on the guarantor, and is unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled.

6.1.4.Information about risk concentration within the mitigation taken:

Bank has a well dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:

- Eligible financial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates
- Fixed assets and current assets of the counterparty

6.2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(रुपये करोडों में)

विवरण	राशि
संवारने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किये गये कुल एक्सपोजर.	2721.42

7. प्रतिभूतिकरण मानकीकृत दृष्टिकोण :

7.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान बैंक ने किसी एक्सपोजर को प्रतिभूत नहीं किया है. मार्च 2004 के दौरान स्पेशल परपज वेहिकल के रूप में कार्य करते हुए एनएचबी के जरिए बैंक ने 50.36 करोडों का आवास ऋण पोर्ट फोलियो प्रारंभ किया. एनएचबी एसपीवी न्यास ने इन आवास ऋणों को पास थ्रू प्रमाणपत्रों में परिवर्तित किया एवं संस्थागत निवेशकों को पीटीसी-ए एवं आन्ध्रा बैंक को पीटीसी-बी (पीटीसी ए से गौण) जारी किया.

पहली हानि एवं दूसरी हानि ऋण वृद्धि पर पूंजी प्रभार की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया.

ए) प्रतिभूतिकरण कार्यकलापें से संबंधित बैंक का लक्ष्य, इसमें इन कार्यकलापों द्वारा बैंक से दूर अन्य संस्थानों में निहित प्रतिभूत एक्सपोजर की ऋण जोखिम को अंतरण करने की मात्रा शामिल है.

प्रतिभूतिकरण योजना के लक्ष्य एवं तौर तरीका बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है.

लक्ष्य

- आस्ति देयता असंतुलनों का घटाव
- शुल्क आधारित आय में वृद्धि
- निधियों का पुनः अभियोजन

बी) प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियाँ, इनमें बिक्री पर लाभ की मान्यता एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि से कोई महत्वपूर्ण प्रभार एवं ऐसे प्रभार के प्रभाव समेत स्थागित ब्याज के मूल्य के लिए प्रमुख धारणाएँ शामिल हैं

प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक में उपयुक्त लेखा नीतियाँ हैं.

आस्तियों की बिक्री पर किसी लाभ को मान्यता नहीं मिली है.

सी) प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग किये गये ईसीएआई के नाम एवं प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रभार जिसके लिए हर एजेंसी का उपयोग किया गया क्रिसिल, दर निर्धारण एजेंजसी ने पूल का दर निर्धारण एएए (एएसओ) किया है.

7.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए. बैंक द्वारा प्रतिभूत कुल बकाया ऋण जोखिम तथा, एक्सपोजर टाइप द्वारा प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन

बैंक ने आवास ऋणों का प्रतिभूतीकरण किया है

31.03.2009 को पूल का बकाया शेष रु.15.03 करोड है

बी. बैंक द्वारा प्रतिभूत एक्सपोजर के लिए एवं प्रतिभूतीकरण फ्रेमवर्क के अधीनः

प्रतिभूत हानिग्रस्त/ विगत देय आस्तियों की राशि चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित हानियाँ, एक्सपोजर टाइप द्वारा विघटित

हानिग्रस्त विगतदेय आस्तियों को प्रतिभूत नहीं किया गया

किसी भी हानि को निर्धारित नहीं किया गया

सी. धारित या क्रीत प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की कुल राशि, एक्सपोजर टाइप द्वारा विघटित

पी टी सी - बी, पी टी सी - ए को सबार्डिनेट के रूप में बैंकों द्वारा अभिदत्त रु.7.41 करोड के प्रतिभूत आवास ऋण

डी. धारित या क्रीत प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की कुल राशि जोखिम भारित बैंड के सार्थक संख्या के रूप में विघटित टीयर - I पूँजी से जो एक्सपोजर पूरी तरह कम किये गये हैं, कुल पूँजी से ऋण संवर्धन आई/ओ कम किये गये हैं, कुल पूँजी से अन्य एक्सपोजर कम किये गये हैं, को एक्सपोजर टाइप रेखांकित करने के द्वारा अलग से प्रकट किया जाना चाहिए.

6.2. Quantitative disclosures:

(Rs. in Crore)

Particulars	Amount
Total exposure covered by eligible financial collateral after application of haircuts.	2721.42

7. SECURITISATION – STANDARDIZED APPROACH:

7.1 Qualitative Disclosures:

a. Objectives of the bank in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.

Objectives and modalities of the securitisation scheme are furnished to Audit Committee of the Board, as per the format prescribed by the RBI.

Objectives –

- Reduction of asset liability mismatches;
- Increase in fee based income and
- Redeployment of funds.

b. Bank's accounting policies for securitisation activities, including recognition of gain on sale; and key assumptions for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes;

The Bank has in place suitable accounting policies for securitisation activities.

c. Names of ECAIs used for securitizations and the types of securitisation exposure for which each agency used:

CRISIL, the Rating Agency has rated the pool with AAA (so).

The Bank has not securitised any exposure during the financial year 2008-2009.

Our Bank has originated Housing Loans Portfolio of Rs.50.36 crores through NHB acting as Special Purpose Vehicle, during March 2004. The NHB SPV Trust, converted these housing loans into Pass Through Certificates and issued PTC-A to the Institutional Investors and PTC-B (subordinate to PTC-A) to Andhra Bank.

The capital charge calculated on first loss and second loss credit enhancements is provided as per RBI guidelines.

7.2 Quantitative Disclosures:

a. The total outstanding exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework by exposure type.

Bank has securitised the Housing Loans.

The outstanding balance of the pool as on 31.03.2009 is Rs.15.03 crores.

b. For exposures securitised by the bank and subject to the securitisation

Framework: amount of impaired/past due assets securitised; and losses recognised by the bank during the current period, broken down by exposure type.

No impaired/past due assets were securitized.

No losses were recognized

c. Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased, broken down by exposure type.

Rs.7.41 crore of Securitised Housing Loans subscribed by the Banks as PTC-B, subordinate to PTC-A.

d. Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.

31.03.2009 को पी टी सी - बी में रु.3.95 करोड के बकाया निवेश को पहली हानि ऋण के रूप में माना गया एवं रु.0.68 करोड नकद संपार्श्विक को दूसरी हानि ऋण वृद्धि के रूप में माना गया, जिसे टीयर-I के 50% के रूप में एवं टीयर-II पूँजी से 50% से घटाया गया.

ई. तुलन पत्र के लेखों की टिप्पणी के एक भाग रूप में दो वर्ष के लिए तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करते हुए प्रतिभूतीकरण गतिविधि का सारांश

- आस्तियों के रेखांकन द्वारा 2004 में प्रतिभूत ऋण आस्तियों की कुल संख्या एवं बही मूल्य;

आवास ऋण आस्तियाँ

मार्च 2008 - 908 खाते - रु.20.04 करोड

मार्च 2009 - 750 खाते - रु.15.03 करोड

- प्रतिभूत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि

रु. 50.36 करोड - बिक्री पर कोई लाभ/हानि नहीं

- ऋण संवर्द्धन, चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरणोत्तर आस्ति सर्विसिंग इत्यादि के द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का रूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य)

- रु. 7.41 करोड को पूल प्रिसिंपल के 14.7% तक सबार्डिनेट ट्रांच को सबस्क्रिप्श्न

- पूल में अधिक ब्याज दर का सबार्डिनेशन

- रु. 68.00 लाख का नकदी संपार्श्विक

8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम - स्टेंडर्डाईज्ड माडिफाइड ड्यूरेशन अप्रोच

8.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

8.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक में सुउदाहरित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति एवं बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनामक संरचना है. नीति के उद्देश्य हैं:

- अंतर्निहित बाजार संबंधी जोखिम को कैप्चर करने एवं ऑफ बैलेंस शीट मदें, और बैंक के बेहतर हित में मानीटर एवं प्रबंध करने
- यह सुनिश्चित करने कि बैंक का निवल ब्याज दर बाजार संबंधी पहलुओं के घटबढ से संरक्षित है
- बाजार जोखिम के सबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के स्तर को सुधारने
- पूंजी स्रोतों के अधिकतमक उपयोग सुनिश्चित करने पूंजी संगणन के ` अधुनातन पद्धतियें के अपनाने के लिए बैंक को तैयार रखना

8.1.2 संबंद्ध जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

बैंक के बाजार जाखिम पबंधन की संरचना निम्न प्रकार है.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ऑल्को)
- महाप्रबंध्राक -आईआरएमडी (मुख्य जोखिम कार्यपालक) - प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग
  - इंटग्रेटेड मिड ऑफीस
  - आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग

8.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं/या माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- बैंक ने ओवरनाइट सीमा, इंट्राडे सीमा, कुल गैप सीमा, स्टॅाप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, ब्रोकर टर्नोवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, उत्पादवार एक्सपोजर सीमा, इश्यूअरवार एक्सपोजर सीमा जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ बनाई हैं.
- बैंक में ट्रेडिंग डेस्क से बोर्ड स्तर तक के विभिन्न स्तरों में जोखिम सीमा मानीटर करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान है.

The outstanding investment of Rs.3.95 crore in PTC B as on 31.03.2009 considered as the First Loss Credit Enhancement and Rs.0.68 crore cash collateral considered as Second Loss Credit Enhancement is reduced as 50% from Tier I and 50% from Tier II Capital.

e. Summary of securitisation activity presenting a comparative position for two years, as a part of the Notes on Accounts to the balance sheet:

- Total number and book value of loan assets securitised during 2004– by type of underlying assets;

Housing Loan assets

March 2008– 908 A/cs – Rs.20.04 crore

March 2009- 750 A/cs - Rs. 15.03 crore

- Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and

Rs.50.36 crore – No gain/loss on sale

- form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc

- Subscription to subordinate tranche (PTC-B) to the extent of 14.7% of the pool principal aggregating to Rs.7.41 crore.
- Subordination of excess interest spread in the pool.
- Cash collateral equivalent to Rs.68.00 lacs.

8. MARKET RISK IN TRADING BOOK- STANDARDIZED MODIFIED DURATION APPROACH:

8.1. Qualitative Disclosures:

8.1.1. Strategies and processes:

The Bank has in place a well-defined and Board approved 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for Market risk management functions. The objectives of the policy are

- to capture all the market related risks inherent in on and off-balance sheet items, monitor and manage them in the best interests of the bank.
- to ensure that the bank's NII is protected from the volatilities in the market related factors
- to improve the sophistication levels of the risk management systems pertaining to Market Risk; and
- to prepare the bank for adoption of the advanced methods of capital computation to ensure optimum utilization of the capital sources.

8.1.2. The structure and organization of the relevant risk management function:

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- General Manager-IRMD(Chief Risk Executive)-Head Office
- Market Risk Management Cell, Integrated Risk Management Dept HO-
  - Integrated Mid Office
  - Asset Liability Management Section

8.1.3. The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Productwise Exposure limit, Issuerwise Exposure limit etc.

- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the bank from trading desk to the Board level.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.

- जोखिमप्रबंधन के लिए या लेखा प्रयोजनों के लिए बाजार को मार्क किये जाने वाले प्रयोग किये जाने वाले दर स्वतंत्रा रूप से सत्यापित किये जाते हैं.
- बैंक की रणनीति के अनुसार रिपोर्ट निष्पादन एवं जोखिम, व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन के लिए रिपोर्ट प्रयोग किये जाते हैं.
- रिपोर्टिंग सिस्टम समय पालन, स्वचालीकरण के साथ यथोचित यथार्थता को सुनिश्चित करता है
- रिपोर्ट लचीले हैं और निर्णय करने की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करते हैं.
- डीलिंग रूम गतिविधियाँ केंद्रीकृत हैं
- रिपोर्टिंग फार्मेट एवं समयांतराल आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि वे जोखिम मानीटंरिंग, माप एवं निवारण आवश्यकताओं को पूरा कर सके.

8.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए बोर्ड की विभिन्न अनुमोदित नीतियाँ यानी कि बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, देशवार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, फारेक्स नीति विद्यमान हैं. नीति जोखिम निर्धारण, पहचान एवं माप एवं प्रशामक, जोखिम सीमा एवं ट्रिगर, जोखिम मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के श्रेणीकरण के लिए बैंक में स्कोरिंग मॉडल है. स्कोरिंग मैट्रिक्स के अनुसार काउंटरपार्टियों द्वारा प्राप्त प्वायंट के आधार पर विभिन्न एक्सपोजर सीमाएँ तय की जाती हैं.

एकीकृत जोखिम पबंधन नीति में विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत हैं यह सुनिश्चित करने कि प्रांसगिक निधीयन योजना बनाने के द्वारा दबाव की स्थिति के समय चलनिधि की स्थिति अनुकूल है. प्रत्येक समय फ्रेम में सह्य सीमाएँ हैं और उसके उल्लंघन से चलनिधि में बाधाएँ आने का संकेत प्रदान करेंगे.

8.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोडों में)

क्रम सं	विवरण	पूंजी आवश्यकता की राशि
क)	ब्याज दर जोखिम	151.17
ख)	ईक्विटी स्थिति जोखिम	30.73
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	

9. परिचालन जोखिम

9.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

9.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ

बैंक का परिचालक जोखिम प्रबंधन सुदृढ संगठनात्मक संस्कृति एवं स्वस्थ परिचालक प्रक्रिया, कार्पोरेट मूल्यों सहित, प्रवृत्ति, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपार्टिंग एवं प्रासंगिक योजना युक्त हैं. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनायी गयी हैं.

9.1.2 सबंद्ध जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन

बैंक में परिचालक जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है.

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- महाप्रबंधक, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, प्र.का (मुख्य जोखिम कार्यपालक)
- परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष (आईआरएमडी) प्रका

9.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति एवं/या माप प्रणाली

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एवं बाहय ईवेंट के संबंध में होने वाली परिचालन जोखिम हानि की घटनाएँ निहित हैं. हानि ईवेंट के आधार पर एमआईएस की तैयारी के लिए विभिन्न स्रोतो से डाटा प्राप्त किया जाता है.

9.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने की प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के संबंध में निम्न नीतियाँ बनायी हैं.

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति - परिचालक जोखिम प्रबंधन नीति में परिचालक जोखिम, जोखिम पबंधन संरचना, पहचान, निर्धारण, परिचालक जोखिम की माप एवं मानीटरिंग कवर करते हैं.

- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with bank's strategy.
- The reporting system ensures timeliness, reasonable accuracy with automation. The reports are flexible and enhance decision-making process.
- The Dealing room activities are centralized
- The reporting formats & the frequency is periodically reviewed so as to ensure that they suffice the risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

8.1.4. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

Various Board approved policies viz., Integrated Risk Management Policy, Country Risk Management Policy, Investment Policy and Forex Policy are put in place for market risk management. The policies provide the framework for risk assessment, identification and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

Bank has in place a scoring model for categorization of International banks. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Integrated Risk Management policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of the same would signal a forthcoming liquidity constraint.

8.2.Quantitative disclosures:

(Rs.in crore)

Sl No	Particulars	Amount of capital requirement
(a)	Interest rate risk	151.17
(b)	Equity position risk	59.33
(c)	Foreign exchange risk	—

9. OPERATIONAL RISK:

9.1. Qualitative disclosures:

9.1.1. Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

9.1.2. The structure and organization of the relevant risk management function:

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- GM of Integrated Risk Management Department, HO (Chief Risk Executive)
- Operational Risk Management Cell (IRMD),HO

9.1.3. The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of MIS on loss event types.

9.1.4. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

Bank has put in place the following polices pertaining to Operational Risk Management.

- **Integrated Risk Management Policy - Operational Risk Management:** The policy covers the terms of operational risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of operational risk..

- **अनुपालन नीतिः** बैंक में समग्र अनुपालन नीति है. बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार आंचलिक कार्यालय, प्रका के विभिन्न परिचालक विभाग एवं शाखाओं में विभिन्न विभागों में अनुपाल अधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व बनाये गये हैं ताकि ग्रुपवार एवं बहुविध क्षेत्राधिकार अनुपालन जोखिम पर कार्य कर सकें.

9.2 परिचालक जोखिम पूंजी निर्धारण

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैक द्वारा विनिर्दिष्टनानुसार परिचालन जोखिम पर पूंजी प्रभार परिकलन करने के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच अपनाया है.

10. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

10.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर के विनियमन से, विनिमय दर प्रणाली के उदारीकरण, बांड के लिए द्वितीयक बाजार का विकास एवं वित्तीय प्रणाली की व्यापकता बढने के कारण बैंक ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनिमय दर जोखिम इत्यादि को एक्सपोज हो सकते हैं. आस्ति देयता प्रबंधन में विभिन्न जोखिमों की मानीटरिंग एवं प्रबंधन के माप करने के लिए व्यापक एवं गतिशील फ्रेमवर्क निहित हैं. बैंक के समग्र जोखिम को सहने की क्षमता के अंतर्गत निवल ब्याज आय को बढाने एएलएम का प्रधान उद्देश्य है.

समुत्थान शक्ति एवं/या इसके प्रभाव का अनुमान लगाने चलनिधि एवं ब्याज दर संरचनाओं के द्वारा विभिन्न स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. विभिन्न आस्तियेां एवं देयताओं में ब्याज दरों में पैरलल शिफ्ट के जरिए जोखिम पर अर्जन को मूल्यांकित करता है एवं बेसिस जोखिम भी.

स्ट्रेस की स्थिति भांपकर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं, ऋण की पूर्वभुगतान, जमा के परिपक्वतापूर्व क्लोजर जैसों के द्वारा व्यवहारात्मक अध्ययन के लिए जहाँ एम्बेडेड ऑप्शन हैं स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं.

आईआरआरबी/अर्जन परिप्रेक्ष्य के परिकलन के लिए भारिबैंक द्वारा बनाया गया परंपरागत गैप विश्लेषण का पालन किया जाता है.

प्रतिशत शर्तों में ईक्विटी के बाजार मूल्य के ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने ड्राफट मार्गदर्शी सिद्धांतों में भारिबैंक द्वारा बताये अनुसार संशोधित ड्यूरेशन गैप पद्धति का पालन किया जाता है.

ऑल्को वैश्विक स्तर पर, घरेलू स्तर पर बृहत् आर्थिक परिदृश्य और लागत-लाभ, स्पिन ऑफ, वित्तीय समावेशन एवं अन्य कई पहलुओं पर विचार करने के बाद आस्ति एवं देयताओं का ब्याज दर निर्धारण करने का निर्णय करता है.

10.1.1 रणनीति एवं प्रक्रियाएँ: विभिन्न परिदृश्य को सिमुलेट करते हुए पहले ही स्ट्रेस टेस्ट करने के द्वारा जोखिम निवारण की नीति अपनायी जाती है ताकि संभावी घटना से तेयार रह सकें और आवश्यक हो तो इसको दूर कर सकें. आस्ति एवं देयता के संमिश्रण के परिवर्तन द्वारा, यूनिटी के नजदीक ड्यूरेशन गैप को लाने के द्वारा, ब्याज दरों में परिवर्तन के द्वारा जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया की पहल की जाती है.

10.1.2 सबंद्ध जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन: एएलएम अनुभाग महाप्रबंधक आईआरएमडी को रिपोर्ट करता है संरचनात्मक चलनिधि समेत विभिन्न विषयों पर एएलएम रिपोर्टों, ब्याज दर की संवेदनशीलता एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण पाक्षिक तौर पर ऑल्को को प्रस्तुत किये जाते हैं और मासिक तौर पर बोर्ड की जोखिम पबंधन समिति को. ऑल्कों बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जाती है और कार्यपालक निदेशक एवं कामकाजी विभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं.

10.1.3 जोखिम रिपोर्टिंग एवं /या माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति: चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण चलनिधि स्थिति एवं बैंक के ब्याज दर जोखिम को विवरित करते हैं. बोर्ड के अनुमोदन से सहय सीमाएँ तय की जाती हैं, जिसके अंतर्गत बैंक को काम करना होता है. किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर ऑल्को को रिपोर्ट किया जाता है जिससे उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं.

10.1.4 हेजिंग के लिए एवं /या जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजेस/ प्रशामकों के प्रभावीपन को जारी रखने हेतु मानीटर करने ककी प्रक्रियाएँ एवं रणनीति

किस प्रकार चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके, ऑल्को द्वारा निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं. रेसिडुअल मेचुरिटी के आधार पर ऑल्को को चलनिधि एवं ब्याज दर संरचना की जानकारी के लिए पाक्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं. विभिन्न समय बकेट के अंतर्गत चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम बतलाते हैं. विस्तृत रूप में बैंक की स्थिति पर अध्ययन के बाद ऑल्को मिसमेच को कम करने के लिए विस्तृत रूप में रणीनीतियाँ बनाता है ताकि चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम कम किया जा सके.

10.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

31.03.2009 को काल्पनिक दर के लिए ईक्विटी के अर्जन आर्थिक मूल्य का प्रभाव

- **Compliance Policy:** The Bank has in place a Comprehensive Compliance Policy. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various Departments, Zonal Offices, other operating departments at HO and branches, so as to address group wide and multi jurisdictional compliance risk. Suitable reporting system is also put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy Bank wide.

9.2 Operational risk capital assessment:

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

10. INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB):

10.1. Qualitative Disclosures:

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to interest rates risk, liquidity risk, exchange rate risk etc., Asset Liability Management outlays a comprehensive and dynamic framework for measuring monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is to maximize the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various stress tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and/or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk.

The stress tests are carried out by assuming stress conditions wherein embedded options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the behavioral studies to test the stress levels.

Traditional Gap Analysis method suggested by RBI is followed for calculation of IRRBB – Earnings perspective

Modified Duration Gap method is followed, as suggested by RBI in its draft guidelines, to assess the effect of interest rate changes on the Market Value of Equity in percentage terms

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

10.1.1. Strategies and processes: The strategy adopted for mitigating the risk is conducting stress tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition, bringing the duration gap closer to unity, change in interest rates etc.

10.1.2. The structure and organization of the relevant risk management function: The ALM section reports to the General Manager IRMD and the ALM reports on various subjects/ topics along with the structural liquidity, the interest rate sensitivity and short term dynamic liquidity statements are presented to the ALCO on fortnightly basis, and to the Risk Management Committee of the Board on monthly basis. The ALCO is chaired by the Chairman & Managing Director of the Bank and has the Executive Director and GMs of functional Departments as its members.

10.1.3. The scope and nature of risk reporting and /or measurement systems: The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest rate risk of the Bank. With the approval by the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO which in turn directs remedial measures to be initiated.

10.1.4. Policies for hedging and or/mitigating risk and strategies and process for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants: Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the liquidity risk and interest rate risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the liquidity risk and interest rate risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to minimise the liquidity and interest rate risks.

10.2. Quantitative Disclosures:

The impact on earnings and economic value of equity for notional interest rate shocks, as on 31-03-2009.

10.2.1 जोखिम पर अर्जन

(रु. करोडों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष पर रिप्राइसिंग
0.25%	16.27
0.50%	32.54
0.75%	48.80
1.00%	65.07

10.2.2 ईक्विटी का आर्थिक मूल्य

(रु. करोडों में)

ईक्विटी मूल्य में 200 बीपीएस दर शॉक के लिए (प्रारक्षिती समेत)	रु. 302.68 करोड

10.2.1. EARNINGS AT RISK

(Rs. in crore)

Change in interest rate	Repricing at 1 year
0.25%	16.27
0.50%	32.54
0.75%	48.80
1.00%	65.07

10.2.2. ECONOMIC VALUE OF EQUITY

(Rs. in crore)

For a 200 bps rate shock the drop in equity value (including reserves)	302.68 crores